

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक ²⁷ अगस्त, 2018

विषय:- श्री केदारनाथ धाम स्थित केदारपुरी में मन्दाकिनी नदी के बाएँ तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के पुनर्निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु अवमुक्त धनराशि को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के डी0डी0ओ0 कोड 2485, कोषागार कोड 4201 (उप कोषागार श्रीनगर गढ़वाल) से आहरण की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2846/प्र0अ0/बी0-1/(सामान्य) दिनांक 06 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री केदारनाथ धाम स्थित केदारपुरी में मन्दाकिनी नदी के बाएँ तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के पुनर्निर्माण हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2064/XVIII(2)/18-4(33)/2016, दिनांक 30.07.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 5041.98 लाख को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के डी0डी0ओ0 कोड 2485, कोषागार कोड 4201 (उप कोषागार श्रीनगर गढ़वाल) में आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ धाम में मन्दाकिनी नदी के बाएँ तट पर बनने वाली बाढ़ सुरक्षा कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय आदेश संख्या 2610/II-2/2 017-3 (II) /2017, दिनांक 27.11.2017 द्वारा डी0पी0एम0यू (Dedicated Project Management Unit) का गठन करते हुए पदधारक अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गयी है, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर को अपने दायित्वों के साथ-साथ वृत्तखण्ड, उपखण्ड डी0पी0एम0यू0 केदारनाथ के अन्तर्गत कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकार प्रदत्त है।

3 अतः डी0पी0एम0यू0, केदारनाथ के किसी अधिकारी के नाम से कोई डी0डी0ओ0/कोषागार कोड सिंचाई विभाग में आवंटित न होने तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर को डी0पी0एम0यू0 केदारनाथ के अन्तर्गत कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रदत्त वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों के दृष्टिगत प्रश्नगत धनराशि को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) को आवंटित डी0डी0ओ0 कोड 2485, कोषागार कोड 4201 (उप कोषागार श्रीनगर गढ़वाल) में आवंटित किये जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 उक्त के फलस्वरूप उल्लिखित शासनादेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग के द्वारा न करके कोषाधिकारी श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल से किया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 30.07.2018 के पृष्ठांकन के क्रम सं०-10-वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग के स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल पढ़ा जाए। उल्लिखित शासनादेश को मात्र इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।


भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

सं०:- 1609 (1) / 11(2)-2018-03(11) / 2017तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, सिंचाई खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. अध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, डी०पी०एम०यू० केदारनाथ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।